

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/आर०-220/2026- /स्वा०पटना, दिनांक / /2026

डा० दिगम्बर शर्मा, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, कटिहार का दिनांक-10 02 2023 से 09 02 2025 तक अध्ययन अवधि तथा दिनांक-10 02 2025 से 05 06 2025 तक प्रभार रहित अवधि को निम्नांकित रूप में विनियमित किया जाता है -

(i)	दिनांक-10 02 2023 से 09 02 2025 तक	-	अध्ययन अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में। (विभागीय पत्रांक 2045(2) दिनांक 30 11 2011 के आलांक में)
(ii)	दिनांक-10 02 2025 से 05 06 2025 तक	-	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि (मुख्यालय) के रूप में।

2 प्रस्ताव में आंतरिक वितीय सलाहकार की सहमति एवं राक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/आर०-220/2026- 2223(2) पटना, दिनांक 16/9/2026

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि अरोगिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, कटिहार / अधीक्षक, सदर अस्पताल, कटिहार / कोषागार पदाधिकारी, कटिहार / डा० दिगम्बर शर्मा, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

W. K. 14/9/26
सरकार के उप सचिव।

B